# F0RM NO.111

(नियम 26)

## न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

सरदार बनाम रामसिंह वगै0

किस्म मुकदमा:– दावा अ.धा.188 आर.टी.एक्ट मुकदमा नम्बर:– 165/2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये |
| --- | --- | --- |
| 21.11.2022 | वादी की ओर से श्री झाबरसिंह भारणी एड0 ने उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकलें साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 12.12.2022 को पेश हो।<br><br>दिलीप सिंह<br>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)<br>श्रीमाधोपुर (सीकर) | |
| 12-12-22 | [illegible]वली पेश हुई। उकूलाठ फरिकेन [illegible] / [illegible] अन्य [illegible] / [illegible] पत्रावली पुनः आदेशानुसार [illegible] 23-1-23 को पेश हो। | |
| [illegible]1.2023 | पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण पुनः वाद कारण पैदा होने से नया वाद पत्र पेश करने की अनुमति के साथ वादपत्र को विड्रा किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर वकील वादी को सुना जाकर उक्त वादपत्र को विड्रा कर खारिज किये जाने की अनुमति दी जाती है तथा नयां वादपत्र पेश किये जाने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>23/01/23<br>( दिलीप सिंह )<br>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)<br>श्रीमाधोपुर (सीकर) | | 

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 13:50:33 IST
Reason: SelfAttested